

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 169]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 मई 2023—ज्येष्ठ 9, शक 1945

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 मई 2023

क्र. एफ-01-55-2009-दो-ए(3).—मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 46 सन् 1974) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव, निष्कासन अधिकारी, संपदा संचालनालय, भोपाल को, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए कार्यभार ग्रहण करने पर दिनांक 27 मार्च 2023 से नगरपालिक निगम, भोपाल की क्षेत्राधिकारिता के भीतर सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करता है.

No. F-1-55-2009-II-A(3).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhinyam, 1974 (No. 46 of 1974), the State Government, hereby, appoints Smt. Preeti Shrivastava, Eviction Officer, Directorate of Estate, Bhopal as Competent Authority. With effect from the date 27th March 2023 on assuming the charge for the purpose of the said Adhinyam, within the jurisdiction of Municipal Corporation, Bhopal.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजकुमार खत्री, उपसचिव.